कार्यालय प्रबंध संचालक जिला वनोपज यूनियन उत्तर बैतूल

07141-234204(कार्यालय), 07141-234286 (निवास), E-Mail – dfotnbetul@mp.gov.in

संघ वाहन के विक्रय हेतु नीलाम की शर्ते

नीलाम दिनांक 09/12/2021

1– बोली लगाने के पूर्व बोलीदार वाहन का भली–भांति निरीक्षण कर स्वयं संतुष्ट हो ले। वाहन **"जहां है जैसा है"** के सिद्धांत पर विक्रय किया जा रहा है, विक्रय पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

2– किसी भी व्यक्ति को नीलाम में वाहन के लिए बोली लगाने की अनुमति तब तक नहीं दी जावेगी जब तक कि वह नीलाम शर्तो का पालन करने के करार के प्रतीक स्वरूप विक्रय सूचना पर अपने हस्ताक्षर न करें।

3– इच्छुक बोलीदार को नीलाम में बोली लगाने के पूर्व जिस सीमा तक वह बोली लगाना चाहता हो उसके 10 प्रतिशत के बराबर राशि या रूपये 10,000/– (शब्दो में :– दस हजार रूपये मात्र) जो भी अधिक हो सत्यंकार के रूप में जमा करना होगा। सत्यंकार राशि का बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट बैतूल शाखा पर देय **प्रबंध संचालक, जिला वनोपज यूनियन उत्तर बैतूल** के नाम का प्रस्तुत करना होगा। असफल निविदाकार को उनके द्वारा प्रस्तुत बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक वापस किया जावेगा।

4– किसी अन्य व्यक्ति या फर्म की ओर से नीलाम हेतु प्रस्तुत बोलीदार को मुख्तारनामा नीलाम के समय प्रस्तुत करना होगा।

5– बोलीदार को पेनकार्ड/आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6– बोली स्वीकृत होने के तत्काल बाद या प्रबंध संचालक, जिला वनोपज यूनियन उत्तर बैतूल की लिखित अनुमति से नीलामी की तारीख से 07 दिवस के भीतर स्वीकृत बोली की राशि की 25 प्रतिशत राशि बयाने के रूप में जमा करना होगा। ऐसा न करने पर कण्डिका 3 के अधीन जमा की गयी राशि शासन के पक्ष में समपहृत हो जायेगी और विक्रय निरस्त कर दिया जावेगा।

7– बोली रकम की 25 प्रतिशत राशि का भुगतान न करने के कारण कण्डिका 6 के अनुसार विक्रय रद्द कर दिये जाने की स्थिति में यदि बोलीदार, वाहन को अगले नीलाम में विक्रय के पूर्व, विक्रय के पुनः प्रवर्तन का अनुरोध करे, तो मुख्य वनसंरक्षक, पदेन महाप्रबंधक बैतूल यदि इस बात से संतुष्ट हो जाए कि समुचित और पर्याप्त रूप से विश्वास योग्य कारणों से जो लेखबद्ध किये जायेंगे, क्रेता विहित समय सीमा के भीतर उस राशि का भुगतान करने में असमर्थ था तो मुख्य वनसंरक्षक, पदेन महाप्रबंधक संपूर्ण विक्रय मूल्य, विलम्ब के लिए 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज और विक्रय मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर पुनः प्रवर्तन शुल्क का भुगतान करने पर विक्रय को पुनः प्रवर्तित कर सकेगें। ब्याज की गणना के लिए 15 दिन या उससे कम दिन की अवधि की गणना आधे महीने के रूप में एवं 15 दिन से अधिक दिनों की अवधि की गणना एक माह के रूप में की जावेगी।

8– बोली की 25 प्रतिशत राशि जमा होने के बाद प्रबंध संचालक के द्वारा विक्रय की स्वीकृति जारी की जावेगी। क्रेता को विक्रय मूल्य की शेष राशि समस्त कर सहित विक्रय की स्वीकृति की तिथि से 45 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के पदनाम के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक से जमा करना होगा अन्यथा सत्यंकार राशि राजसात की जावेंगी एवं विक्रय की स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

9– क्रेता द्वारा नीलाम में क्रय किये गये वाहन का मूल्य समस्त कर सहित जमा करने के पश्चात् विक्रय की स्वीकृति के दिनांक से 60 दिवस के भीतर वाहन उठाना होगा। उक्त समयावधि के भीतर यदि क्रेता वाहन नहीं उठाता है तो (अधिकतम चार महीने हेतु) निम्नानुसार भूमि भाडा वसूल किया जावेगा :–

चार पहिया वाहन हेतु– 10 रू. प्रतिदिन

भूमि भाड़ा जमा करने के उपरांत ही वाहन प्रदाय किया जावेगा। विक्रय की स्वीकृति के दिनांक से 120 दिवस के अंदर वाहन न उठाने की अवस्था में क्रेता द्वारा जमा की समस्त राशि राजसात करते हुए विक्रय निरस्त किया जावेगा।

10– विक्रय की स्वीकृति के दिनांक से 120 दिन की अवधि समाप्त हो जाने पर क्रेता को, केवल अपवादित मामले में, मुख्य वनसंरक्षक, पदेन महाप्रबंधक, बैतूल की विशेष अनुज्ञा से भूमि भाड़ा के अतिरिक्त, न हटाये गये वाहन के विक्रय मूल्य के 10 प्रतिशत से अनाधिक की शास्ति उद्ग्रहीत कर सकेगा और समय वृद्धि निर्धारित कर वाहन उठाने की अनुमति दी जा सकेगी।

चार माह की अवधि या ऐसी अवधि जो मुख्य वनसंरक्षक, पदेन महाप्रबंधक, बैतूल द्वारा बढाई हो, के समाप्त हो जाने पश्चात् वाहन, यदि न हटाया गया हो तो वह विक्रय मूल्य सहित शासन को समपहृत हो जावेगा और मूल क्रेता को वाहन के संबंध में दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

11– विक्रय मूल्य पर नियमानुसार वसूलनीय समस्त कर देय होगें।

12– सफल बोलीदार को संपूर्ण राशि भुगतान करने के उपरांत ही वाहन **''जहां है जैसा है''** वही से प्रदाय किया जावेगा।

13– वाहन को चलाने हेतु पंजीयन क्रेता द्वारा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से स्वयं के व्यय पर कराया जावेंगा।

14– वाहन विक्रय संबंधी किसी भी विवाद के निराकरण में प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित उत्तर बैतूल का निर्णय अंतिम एवं बन्धनकारी होगा।

15– नीलाम में ऐसे किसी भी बोलीदार या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति, जो नीलामी की कार्यवाही के दौरान अशांति फैलाता है या प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित उत्तर बैतूल/नीलामकर्ता अधिकारी के शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालता हो, ऐसे व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने से वर्जित किया जावेगा एवं उसके द्वारा जमा बयाने की समस्त राशि समयहृत हो जावेगी, इसके साथ ही उसका नाम तीन वर्ष की अवधि के लिए काली सूची में दर्ज कर दिया जावेगा।

16– नीलाम में बोली लगाना नीलाम की सभी शर्ते स्वीकार होना माना जावेगा।

2. द्वितीय बोलीदार के हस्ताक्षर	1. प्रथम बोलीदार के हस्ताक्षर
नाम :–	नाम :–
पता :–	पता :–
मो.नं. :–	मो.नं. :–

3. नीलामकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम ....